न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 76/2021

1 मूर्ति मन्दिर सत्यनारायण जी जरिये सेवक सुनील पुत्र श्री होशियार सिंह उम्र 38 साल जाति जाट
2 देवकरण पुत्र श्री अर्जूनराम उम्र 63 साल जाति जाट
निवासीगण भामरवासी (मोहनपुरा) तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) बगड़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 तहसीलदार चिड़ावा लैण्ड होल्डर तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मु. उनवानी मन्दिर मूर्ति, सुनील बनाम सहायक अभियंता मु.नं. 94/2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट व आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी
तारीख आदेश दिनांक 14.09.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनाँकः— 30.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2021 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में एक वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ अपीलान्टगण ने एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे राजस्व ग्राम भामरवासी में स्थित मन्दिर श्री सत्यनारायण जी की भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 303 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 4.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 5.83 हैक्टेयर में कोई

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सड़क का निर्माण किसी प्रकार का नहीं करें व उक्त मन्दिर की भूमि में अन्य कोई निर्माण कार्य किसी प्रकार का नहीं करें, मन्दिर की जमीन में खड़े पेड़ो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाये व मन्दिर की जमीन में कोई गड्डे आदि खोदकर जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाये व मन्दिर की जमीन की किस्म परिवर्तन नहीं करें व उक्त कार्य ना तो स्वयं करे तथा ना ही अपने किसी अधिनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों से करवाऐं। उक्त आशय के प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई के गत दिनांक 14.09.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आदेश जैर बहस में सिर्फ यह लिखा है कि समस्त तथ्यों व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय यह उचित समझता है कि सड़क निर्माण कार्य सरकारी योजना है इसको रोकने के लिए सरकारी ऐजेन्सी को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूल ही अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है, का आलौच्य आदेश पारित किया है जिसमें अपीलान्टस के तथ्यों का उल्लेख तक नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने आदेश जैर बहस विधि सम्मत पारित नहीं किया है विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दोनों पक्षों को सुने बिना आदेश पारित किया गया है। विधि का प्रावधान है कि विपक्षीगण/अप्रार्थीगण को विधि सम्मत नोटिस जारी किया जाना तथा अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब देही होती व जवाब देही के बाद उभयपक्षकारान की बहस को सुनकर आदेश जारी करना चाहिए था। इस प्रकार से आदेश जैर बहस विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। आदेश जैर बहस कानून के खिलाफ पारित किया है आदेश जैर बहस पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के आदेशात्मक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रावधानों की पालना नहीं की है। आदेश जैर बहस में सुविधा के सन्तुलन व अपार क्षति के बिन्दूओं की प्रारम्भिक स्तर पर बिल्कुल व्याख्या नहीं की। आदेश जैर बहस फर्द अहकाम पर लिखा गया है, इस कारण से आदेश जैर बहस विधिवत रूप से पारित आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को एकपक्षीय सुनकर विचाराधीन एकपक्षीय आदेश से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। अपीलांट द्वारा सार्वजनिक हितार्थ निर्माणाधीन सड़क को रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को एकपक्षीय सुनकर विचाराधीन एकपक्षीय आदेश से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। अपीलांट द्वारा सार्वजनिक हितार्थ निर्माणाधीन सड़क को रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इमसें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 30.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर